



3.1.1

Grants received from Government & Non-Governmental Agencies for Research Projects/ Endowments in the Institution

NATIONAL SERVICE SCHEME (NSS) YEAR OF AWARD 2022-2023



St. Xavier's College Jaipur

Affiliated to the University of Rajasthan Approved under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act, 1956
A Christian Minority Educational Institution under Section 2(g) of NCMEI Act, 2004



SI No	Academic Year of the Project/ Endowments	Name of the Coordinator	Name of the Funding Agency	Funds Provided (INR)	Supporting Document (S.D)
1.	2022-2023	Dr Pradeep Soni	NSS	72,000/-	• Sanction Letter • Utilization Certificate

SANCTION LETTER

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप - 4 अ) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक प. 3(2)शिक्षा/ग्रुप 4अ/2016

जयपुर, दिनांक : 08.08.2022

प्राचार्य
सेन्ट जेवियर कॉलेज
जयपुर

विषय : राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके आवेदनानुसार सत्र 2022-23 में

सेन्ट जेवियर कॉलेज, जयपुर

हेतु0.1..... इकाई आवंटित की जाती है।

अतः संलग्न प्रपत्रों के नियमानुसार इकाई संचालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डॉ. धर्मेन्द्र रिष्ट)
राज्य सम्पर्क अधिकारी

{मेल-senssrajasthan@gmail.com}

शिक्षा (ग्रुप-4अ) विभाग, पदापराजी, भवन कृषीय टाल कमरा नं० 8319, शासन सचिवालय, जयपुर!!

U/ EDUCATION G-4A/A-Z Letter/

Principal


St. Xavier's College, Jaipur
Nevta-Mahapura Road, Jaipur





St. Xavier's College Jaipur

Affiliated to the University of Rajasthan Approved under Section 2(F) and 12(B) of UGC Act, 1956
A Christian Minority Educational Institution under Section 2(g) of NCMEI Act, 2004



राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप - 4 अ) विभाग

क्रमांक प. 3(2)शिक्षा/ग्रुप 4अ/2016

जयपुर, दिनांक: 08.08.2022

प्राचार्य
सेन्ट जेवियर कॉलेज
जयपुर

विषय: राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके आवेदनानुसार सत्र 2022-23 हेतु आपके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को [0] इकाई (100 स्वयं सेवक प्रति इकाई) आवंटित की गई है।

अतः कृपया तदनुसार आवंटित इकाई हेतु अग्रिम कार्यवाही के लिये बैंक खाते की सूचनाएं सात दिवस में रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध कराते हुए ई-मेल (slonssrajasthan@gmail.com) पर भी भिजवाने का श्रम करें जिससे कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का PFMS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जा सके। खाता पूर्व में PFMS पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो अपनी संस्था से राष्ट्रीय सेवा योजना (9230) स्कीम को PA111 की सहायता से मैपिंग निम्नानुसार करें-

Login Admin My Scheme Register New Scheme 9230
Select Funding Agency I will receive fund from this agency search
Select-Agency Unique Code rajasthanss Search select Rajasthan
State NSS Cell then Enter your bank detail as required Blue hyperlink
को Click कर Scheme Component mapping में Bulk को Select कर Save करें।

इस कार्यालय को भी की गई कार्यवाही से अवगत करायें। यदि PFMS पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो सूचना निम्नानुसार उपलब्ध करायें:-

1. संस्था का नाम गय पिन कोड व टेलिफोन नम्बर
2. प्राचार्य का नाम व मोबाइल नम्बर
3. खाता संख्या (जो कि संस्था के नाम से हो)
4. IFS CODE
5. Email id
6. कौंस बैंक

यह खाता PFMS पर किसी अन्य योजना जैसे- RUSA इत्यादि से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए।

राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित प्रमुख दिशा-निर्देशों की छाया प्रति प्रेषित की जा रही है एवं संलग्न प्रपत्र (1 से 25 कॉलम) को पूर्ण कर दिनांक 15.09.2022 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को अवगत करायें।

भवदीय

(डॉ. धर्मेन्द्र सिंह)
राज्य सम्पर्क अधिकारी

[ईमेल - slonssrajasthan@gmail.com]

!! शिक्षा (ग्रुप 4अ) विभाग, एसाएसओ, भवन तृतीय तल क्रमांक 30 4313, शारन सविवालय, जयपुर!!

D/ EDUCATION G-4A/A-2 Letter/

223

Principal

St. Xavier's College, Jaipur
Nevta-Mahapura Road, Jaipur



St. Xavier's College Jaipur

Affiliated to the University of Rajasthan Approved under Section 2(F) and 12(B) of UGC Act, 1956
A Christian Minority Educational Institution under Section 2(g) of NCMEI Act, 2004



राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4 'अ') विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

1. राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई का आशय 100 विद्यार्थी एवं एक कार्यक्रम अधिकारी हैं।
2. कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नियुक्ति उन्हीं प्राध्यापकों में से की जानी चाहिए, जो सुवा हों, काम करने के इच्छुक एवं सामुदायिक सेवा हेतु समर्पित भाव रखते हों।
3. राज्य सरकार एवं आयुक्तालय से प्राप्त निर्देशों एवं आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।
4. कार्यक्रम अधिकारी सीधा पत्र व्यवहार न करें। प्रत्येक पत्र में प्राचार्य के प्रतिहस्ताक्षर अवश्य हों या पत्र पर प्राचार्य के की हस्ताक्षर हों, पत्र व्यवहार के समय प्राचार्य का नाम, ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर अवश्य अंकित करें।
5. संस्था के अध्यक्ष के रूप में प्राचार्य को यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई अपना कार्य सुचारु रूप से करती रहें। इसके लिए कार्यक्रम अधिकारी को मदद करना, लिपिकीय सहायता पहुँचाना तथा स्थान आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना परामर्शदात्री समिति का गठन करें।
6. एन.एस.एस. से संबंधित विभिन्न सूचनाएँ एवं निर्देश, एन.एस.एस. वार्षिक कैलेंडर आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा की वेबसाइट पर भी प्रसारित किये जाते हैं। प्राचार्यों से अनुरोध है कि प्राप्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
7. सत्र प्रारम्भ में इकाइयों में स्वयंसेवकों का रजिस्ट्रेशन होते ही इनकी सूचना Excel Sheet में Font type – Time New Roman Font Size 12 में एक ही लाइन में कॉलम 1 से 25 तक सॉफ्ट कॉपी में ई-मेल द्वारा slonssrajasthan@gmail.com पर भेजें। (परिशिष्ट-“क”)
8. विशेष शिविर प्रारम्भ की सूचना एवं परिशिष्ट “क” की सूचनाएँ निम्न तीन कार्यालयों को भिजवाई जानी चाहिए:-
 - i. राज्य सम्पर्क अधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-4अ) विभाग, कमरा नं. 8313, एस.एस.ओ. भवन, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
 - ii. क्षेत्रीय निदेशालय, एन.एस.एस., बी-7, देव नगर, टॉक रोड, जयपुर।
 - iii. समन्वयक, युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
9. राष्ट्रीय सेवा योजना का लेखा जोखा रजिस्टर कार्यालय द्वारा पूर्ण कर रखना चाहिए तथा स्थाई सामान खरीदने पर उसको स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज करना आवश्यक है क्योंकि निरीक्षण कभी भी किया जा सकता है।
10. सूचना पट्ट अलग से होना चाहिए।
11. त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक एवं विशेष शिविर प्रविवेदन समय-समय पर इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
12. अनुदान राशि Annexure-D के अनुसार खर्च की जायें।
13. विशेष शिविर, एक दिवसीय शिविरों हेतु धनराशि महाविद्यालय द्वारा आयुक्तालय के आदेशानुसार आदेश क्रमांक ए. 20(205)/एनएसएस/आकाशि/2003/630 दिनांक 19.01.2009 एवं प-9(विविध)/एनएसएस/आकाशि/09/12 दिनांक 08.01.2010 के तहत महाविद्यालय से खर्च की जा सकती है। (पत्र संलग्न)


Principal

St. Xavier's College, Jaipur
Nevta-Mahapura Road, Jaipur





St. Xavier's College Jaipur

Affiliated to the University of Rajasthan Approved under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act, 1956
A Christian Minority Educational Institution under Section 2(g) of NCMEI Act, 2004



14. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिवस 31 मार्च से पूर्व लेखा जोखा कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
15. अनुदान राशि व्यय का लेखा जोखा PFMS पोर्टल के माध्यम करें।
16. अनुदान राशि में शेष रहने पर PFMS पोर्टल के माध्यम से ही चापस "Rajasthan State NSS Cell" के बैंक खाते में स्थानान्तरित करें।
17. वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह के प्रारम्भ में संग्रह से समस्त खर्चों का विवरण कार्यक्रम अधिकारी द्वारा महाविद्यालय कार्यालय में जमा कराना होगा।
18. समस्त खर्चों का व्यय विवरण कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त होने पर कार्यालय लिपिक द्वारा 31 मार्च से पूर्व ही PFMS पोर्टल पर इन्द्राज एवं समस्त कार्यवाही कराने की जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी।
19. वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरान्त "उपयोगिता प्रमाण-पत्र" (व्यय-विवरण) निर्धारित प्रपत्र A,D,F में तैयार कर वार्षिक प्रतिवेदन के साथ अप्रैल माह के अंत तक इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
20. निजी संस्थायें प्राचार्य के माध्यम से सनदी लेखाकार (Chartered Accountant) की ऑडिट रिपोर्ट प्रपत्र A,D,F के साथ प्रेषित करें।
21. कार्यक्रम अधिकारी वर्षभर कार्यक्रम कलैण्डर के अनुसार करेंगे।
22. सभी सूचनाएं गेल द्वारा प्रेषित होती हैं वर्तमान में प्रभावी सूचनातंत्र जैसे ई-गेल द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाली सूचनाएं एवं आदेश अपने कार्यालय द्वार प्रतिदिन अवलोकन करते रहना चाहिए।
23. बकाया राशि वापस लौटाने हेतु निम्नानुसार PFMS पोर्टल पर कार्यवाही की जा सकती है।

FUNDS TRANSFER TO HIGHER AGENCY

Admin logia → Go to transfer → Transfer to higher agency

New page → Scheme → Bank Account → Letter/office order No & Date → Transaction date → Transferring Amount → Scheme Component → Higher Agency (Rajasthan state NSS Cell) Narration → save - **Green color in last of page** - click on payee detail New page - select instrument type (Epayment print Advice) → click on Add Button New Page - Check all details & Approve → Print PPA → Submit to bank after sign by authority.

24. अनुदान राशि संस्थान के खाते में ऑनलाइन PFMS पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाती है उसे समय-समय पर खाते में देखकर अनुदान राशि स्थानान्तरण होने पर प्राप्त करना होगा।
25. सभी खर्चों का भुगतान पोर्टल के माध्यम से ही करना होगा।
26. उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष (31 मार्च) के पश्चात् शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें। अन्यथा अग्रिम वर्ष का अनुदान जारी नहीं किया जायेगा।
27. वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति इस कार्यालय, क्षेत्रीय निदेशक एवं सम्बन्धित कॉलेज शिक्षा को प्रेषित करनी होगी।

Amish
18.08.22

(डॉ० धर्मेश सिंह)
राज्य सम्पर्क अधिकारी

Amish
Principal

St. Xavier's College, Jaipur
Nevta-Mahapura Road, Jaipur



St. Xavier's College Jaipur

Affiliated to the University of Rajasthan Approved under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act, 1956
A Christian Minority Educational Institution under Section 2(g) of NCMEI Act, 2004



St Xavier's College - Jaipur

Approved under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956
(Affiliated to the University of Rajasthan, Jaipur)
(A Christian Minority Jesuit Institution)

Ref. No : 8pc/ACMB/NGS/2022/9135

Date: 14 November 2022

राज्य संपर्क अधिकारी
राष्ट्रीय सेवा योजना
जयपुर


विषय: आपके पत्र क्रमांक प.3(2)शिक्षा/ग्रुप 4 अ/2016 के अनुसार महाविद्यालय का PFMS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाए हेतु।

महोदय,
उपरोक्त विषयानुसार आपसे अनुरोध है ही महाविद्यालय का PFMS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु आपके द्वारा मांगी गयी बैंक सम्बन्धी सूचना निम्न प्रकार है
आपसे अनुरोध है की संस्था का PFMS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने का श्रम करवाये।

बैंक सम्बन्धी सूचना निम्न प्रकार है

संस्था का नाम मय पिनकोड एवं टेलीफोन नंबर	सेंट जेवियर्स कॉलेज जयपुर नेवटा-महापुरा रोड जयपुर-302029
प्राचार्य का नाम एवं मोबाइल नंबर	फा ए रेक्स एंजेलो एस जे, मोबाइल-88977 01405
खाता संख्या	031200513773190001
IFS कोड	CSBK0000312
ईमेल आई डी	principal@stxaviersjaipur.org

धन्यवाद


प्राचार्य

"To create men and women for others"

Nehta - Mahapura Road, Jaipur - 302029, Rajasthan, India Tel: +91 9680791955, 9828726366
Email: info@stxaviersjaipur.org Website: www.stxaviersjaipur.org


Principal

St. Xavier's College, Jaipur
Nehta-Mahapura Road, Jaipur



St. Xavier's College Jaipur

Affiliated to the University of Rajasthan Approved under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act, 1956
A Christian Minority Educational Institution under Section 2(g) of NCMEI Act, 2004



UTILIZATION CERTIFICATE



Bargoti Mantri & Company
Chartered Accountants

FUND UTILIZATION CERTIFICATE

To,
The management,
St. Xaviers College Jaipur.
Subject - Verification of the utilization of the fund.
Respected Sir,

This is to certify that St. Xavier's College Nevta, Jaipur has utilized the fund of Rs. 71000 under the following activities:-

S NO.	Name of Beneficiary	Amount
1	RN hospitality services	Rs. 46000
2	I Play Sports LLP	Rs. 15000
3	Di Pra leep Singh Soni	Rs. 10000

This certificate is issued after due verification of details and records provided by the applicant.

For Bargoti Mantri & Co
Chartered Accountants

Firm Registration No 015016C

CA Shailesh Mantri

Membership No. 409265

Place : Jaipur

Date: 05/05/2023

UDIN : 23409265BGPTCM8238

221, IInd Floor, Krishna Square, Subhash Nagar, Jaipur
Phone No. 0141-4026484, E-mail: boffice.jaipur@gmail.com


Principal

St. Xavier's College, Jaipur
Nevta-Mahapura Road, Jaipur



St. Xavier's College Jaipur

Affiliated to the University of Rajasthan Approved under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act, 1956
A Christian Minority Educational Institution under Section 2(g) of NCMEI Act, 2004



Government of Rajasthan
Education (Gp.-4A) Department
Secretariat, Jaipur

Annexure-A

STATEMENT SHOWING THE REGULAR N.S.S. ACTIVITIES PROGRAMMES FOR THE YEAR 2022-23

S. No.	Name of the University/ College/ School	Amount Sanctioned in Rs	No. of Volunteers allotted	Actual Volunteers Participated		Teachers/Others Participated	
				Male	Female	Male	Female
1	2	3	4	5	6	7	8
	St. Xavier's College, Jaipur	71000	100	57	43	01	00

Total hours of work				Actual Expenditure in Rs	Balance if any in Rs.	Remarks
Male Volunteers	Female Volunteers	Teachers	Total Hours			
9	10	11	12	13	14	15
6840	5160	130	12150	71000	Nil	-

Pradeep

Dr Pradeep Soni
Name & Sign of Co-ord./P.P. with seal
Möb: Möb: 9214307857
St. Xavier's College
Jaipur



Rajesh

Name & Sign. of
Registrar/Principal with seal
St. Xavier's College, Jaipur
Nevta-Mahapura Road, Jaipur

[Signature]
Principal

St. Xavier's College, Jaipur
Nevta-Mahapura Road, Jaipur



St. Xavier's College Jaipur

Affiliated to the University of Rajasthan Approved under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act, 1956
A Christian Minority Educational Institution under Section 2(g) of NCMEI Act, 2004



Government of Rajasthan
Education (Gp.-4A) Department
Secretariat, Jaipur


Annexure-D
Wef 2022-23

IDEAL NORMS OF EXPENDITURE UNDER NSS ACTIVITY


Name of College: St. Xavier's College, Jaipur

A	1. University/ College/School level expenditure	Rs.14,000/-
	i Transport for NSS Unit	NIL
	ii Certificate / Badges demonstration etc	800
	iii Orientation training Seminars etc	NIL
	iv Publications for NSS Unit	NIL
	v Photographs	700
	vi Unit level other Expenditure	
	a) Camp orientation course to the Students	Nil
	b) Inauguration and closing	700
	c) Advisory committee meeting	NIL
	d) Refreshment for volunteers during regular activity	NIL
	e) maintenance of equipment's	NIL
	i) Sundry expenses	500
	2. Allowance for the part time clerk (100X12)	Rs. 1,200/-
	3. Printing/day to day stationary/ contingencies	Rs. 1,300/-
	4. Three one day camp in NSS (3x100x36=3600/- Per camp)	Rs. 10,800/-
	5. Establishment	
	i. Pocket allowances for programme officer for the unit of strength 100 and above for 12 months (500x12)	Rs. 6000/-
	ii Purchase of equipment's	Rs. Nil
	Total Regular Activities	Rs. 36000
	b. Special Camp	Rs 35000/-
	Total (A+B)	Rs. 71000

ट :- जिन इकाइयों द्वारा विशेष शिविर का आयोजन नहीं किया जायेगा उन इकाइयों के कार्यक्रम अधिकारी / अधिकारियों को मानदेय देय नहीं होगा


Dr Pradeep Soni
Name & Sig. of Coord. P.O. with seal
Mob: 9214307857
St. Xavier's College
Jaipur




Name & Sign. of
Registrar/Principal with seal
St. Xavier's College, Jaipur
Nevta-Mahapura Road, Jaipur


Principal

St. Xavier's College, Jaipur
Nevta-Mahapura Road, Jaipur



St. Xavier's College Jaipur

Affiliated to the University of Rajasthan Approved under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act, 1956
A Christian Minority Educational Institution under Section 2(g) of NCMEI Act, 2004



Education (Gp. -4A) Department
Secretariat, Jaipur

Annexure-F

STATEMENT SHOWING THE SPECILA CAMPING PROGRAMME Yearly Ending 31st March 2023

No.	Name of the University/College/School	Place of Camp	Date of Camp		Volunteers Participated		Teachers/Others Participated	
			From	To	Male	Female	Male	Female
	2	3	4	5	6	7	8	9
	St. Xavier's College, Jaipur	College Campus	09 Feb.,2023	15 Feb.,2023	32	21	01	00

Expenditure incurred in Rs.							Remarks
Food	Travel	Accommodation	Another	Total in Rs.	Saving	Excess	
10	11	12	13	14	15	16	17
35000	00	00	00	35000	00	00	-

Pradeep
Dr Pradeep Soni
Name & Sig. of Coord/P.O. with seal
Mob.: Mob.:9214307857
Dr. Pradeep Soni
NSS Programme Officer
St. Xavier's College
Jaipur



Rajesh
Name & Sign. of
Registrar/ Principal with seal
Principal
St. Xavier's College, Jaipur
Nevta-Mahapura Road, Jaipur

Rajesh
Principal

St. Xavier's College, Jaipur
Nevta-Mahapura Road, Jaipur



St. Xavier's College Jaipur

Affiliated to the University of Rajasthan Approved under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act, 1956
A Christian Minority Educational Institution under Section 2(g) of NCMEI Act, 2004



St Xavier's College - Jaipur

Approved under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956
(Affiliated to the University of Rajasthan, Jaipur)
(A Christian Minority Jesuit Institution)

Ref No: SXCJ/NSS/4

Date: 17 मार्च 2023

राज्य समन्वयक अधिकारी
जयपुर


विषय : NSS के लिए खोले गए चालू खाते को PFMS पोर्टल पर मैप करवाने हेतु।

महोदय

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुरोध है की हमारे द्वारा NSS का चालू खाता खुलवा लिया गया है एवं इसकी सूचना निम्न प्रकार है एवं आपसे अनुरोध है की आगे हमारे खाते को PFMS पोर्टल पर मैपिंग करवा कर अनुदान प्राप्त करने हेतु आगे की कार्यवाही करवाए।

प्रिंसिपल का नाम = एस जेवियर
प्रिंसिपल का ईमेल = principal@stxaviersjaipur.org
प्रिंसिपल का मोबाइल = 7300042735
खाता संख्या = 41693887279
खाते का नाम = सेंट जेवियर कॉलेज जयपुर
IFSC कोड = SBIN0011.04
ब्रांच = SBI मुहाना मंडी
ब्रांच कोड = 11304

धन्यवाद


प्रिंसिपल

"To create men and women for others"

Nevta - Mahapura Road, Jaipur - 302029, Rajasthan, India Tel: +91 9680791955, 9828726366
Email: info@stxaviersjaipur.org Website: www.stxaviersjaipur.org


Principal

St. Xavier's College, Jaipur
Nevta-Mahapura Road, Jaipur





St. Xavier's College Jaipur

Affiliated to the University of Rajasthan Approved under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act, 1956
A Christian Minority Educational Institution under Section 2(g) of NCMEI Act, 2004



राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4 अ) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक: प. 3(2)/शिक्षा/4अ/2016

जयपुर दिनांक: 13.01.2023

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय:- राष्ट्रीय सेवा योजना अनुदान नई प्रणाली से जारी करने हेतु नवीन बैंक खाता खोलने का मत।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, के युवा कार्यक्रम विभाग (एन.एस.एस प्रकोष्ठ) के पत्रांक F.No. K-11032/3/2022-NSS दिनांक 06.10.2022 व ईमेल दिनांक 02.01.2023 एवं वित्त मंत्रालय के पत्रांक F.No. 1(18)/PFMS/FC/2021 दिनांक 09.03.2022 के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सेवा योजना अनुदान राशि सत्र 2022-23 से नई प्रणाली द्वारा जारी करने का निर्णय लिया गया है।

नई प्रणाली से अनुदान राशि जारी करने हेतु "निदेशक राष्ट्रीय सेवा योजना माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर" के खाते को भारतीय स्टेट बैंक में ही नया "Zero Balance Subsidiary Account (Current Account)" खोलकर भेपिंग करेगे जिसे राज्य सम्पर्क अधिकारी कार्यालय द्वारा मंजूर (Approve) कर दिया जायेगा।

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा राज्य के एन.एस.एस. से सम्बद्ध सभी विद्यालयों का नया "Zero Balance Subsidiary Account (Current Account)" भारतीय स्टेट बैंक में खोलने के परामर्श भेप कराने पर मंजूर (Approve) किया जाये।

राज्य के जिन विद्यालयों के पूर्व से भारतीय स्टेट बैंक में खाते खुले हुये है उन्हें भी नया "Zero Balance Subsidiary Account (Current Account)" अनिवार्य रूप से खुलवाया जाना है। अतः पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र-अ एवं उसमें उल्लिखित दस्तावेजों के साथ नजदीकी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में सम्पर्क करें।

उक्त नवीन बैंक खाता खोलने हेतु भारतीय स्टेट बैंक मुख्यालय द्वारा सभी शाखाओं को निर्देशित किया जा चुका है जिससे विद्यालय के प्रतिनिधि को सम्बन्धित बैंक शाखा में Zero Balance Subsidiary Account (Current Account) खुलवाने हेतु किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तत्परचात् सम्बन्धित सभी विद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के पीएफएमएस पर पूर्व खाते की एडमिन आईडी को अंदाज कर संलग्न फ.नो. 1(18) अनुसार नवीन बैंक खाता संख्या को PFMS पोर्टल पर जोड़ना (Add/Map) होगा। बैंक खाता जुड़ (Add) होने पर ऑनलाइन उक्त खाता संख्या को माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा Approve कर दिया जायेगा। तत्परचात् विद्यालय के बैंक खाते में माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा अनुदान जारी करने की कार्यवाही की जा सकेगी।


Zero Balance Subsidiary Account (Current Account) खोले जाने के सम्बन्ध में सख्त सत्र से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

सभी विद्यालयों को यह भी निर्देश प्रदान करें कि पूर्व में जारी राष्ट्रीय सेवा योजना का अनुदान अगर किसी भी विद्यालय के पास अवशेष है तो उसे प्राप्त कर (सत्र 2022-23 में आपको जारी की गयी अनुदान राशि रुपये 50 लाख में से कार्यालयी खर्च हेतु रुपये 36 लाख 12 हजार के अलावा, विद्यालयों से प्राप्त अवशेष राशि, अन्य कोई राशि जो शेष हो एवं खाते में अर्जित ब्याज सहित) सम्पूर्ण राशि का "राजस्थान स्टेट एन.एस.एस सैल" के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट तैयार कर दिनांक 15 जनवरी 2023 तक इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करें। तत्परचात् ही इस वर्ष की अनुदान राशि प्रेषित की जा सकेगी।

अतः श्रीमान एन.एस.एस से सम्बद्ध सभी विद्यालयों के साथ उपनिदेशक प्रशासन एवं समन्वयक (एन.एस.एस.), माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को स्वयं का खाता भी नया "Zero Balance Subsidiary Account (Current Account)" खोलने हेतु निर्देशित करने का आग्रह करें। जिससे सत्र 2022-23 की अनुदान राशि जारी करने की अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय


13.01.2023

(डॉ. मनेन्द्र सिंह)

राज्य सम्पर्क अधिकारी,

शिक्षा (ग्रुप-4 अ) विभाग

शासन सचिवालय, जयपुर

राज्य सम्पर्क अधिकारी

प्रतिलिपि: उपनिदेशक, प्रशासन एवं समन्वयक, रा.से.यो माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, जयपुर एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


Principal

St. Xavier's College, Jaipur
Nevta-Mahapura Road, Jaipur